

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या: 568/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00450)

ख्याली पुत्र भरथा, जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरधा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रताप,
2. सुभाष पुत्रान लीलाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मोरधा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।
3. सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर, राजस्थान।
4. उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।

— रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:-


1. श्री हेमन्त दीक्षित एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मनीष पारीक एडवोकेट रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 22.11.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1060/1300 स्थित ग्राम मोरधा जिसके नये हाल खसरा नम्बर 1060/1304 व 1060/1305 बने हैं, पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का आवंटन की तिथि से लेकर आज तक कोई कब्जा काशत नहीं रहा है तथा न ही उसके द्वारा आवंटन नियम 1970 के अनुसार आवश्यक व अनिवार्य शर्तों व नियमों की कतई कोई पालना नहीं की गई है फिर भी ऐसे पूर्णतया शून्य व अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहिन आवंटन को यथावत कायत रखते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है इस कारण भी आज्ञा जैर अपील निरस्तनीय है।


संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कब्जे के दस्तावेजात यथा पैनेल्टी रसीद, खसरा परिवर्तनशील आदि का कतई कोई अवलोकन एवं विवेचन भी निर्णय जैर अपील में नहीं किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार कोटपूतली व पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट आदेश क्रमांक भू.रू./2016/95/951 दिनांक 30.03.2016 व ग्राम पंचायत के कौरम फैसला दिनांक 01.02.2016 के द्वारा स्पष्ट रूप से अपीलान्ट ख्याली पुत्र भरथा का उक्त खसरा नम्बरान पर कब्जा काशत होना बताया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किये गये अवैध अनुचित एवं क्षेत्राधिकार

P.T.O.

(2)

विहीन आवंटन आदेश को यथावत रखने में गंभीर कानूनी भूल की है। अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि आवंटन के वक्त रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 दोनों ही नाबालिंग व शिक्षा प्राप्त करने व अध्ययनरत विधार्थी थे जिन्हे विधिक रूप से भूमि का आवंटन नहीं हो सकता है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोजेन्ट संख्या 2 सुभाष के आवंटन को विधिक एवं सही रूप से निरस्त कर दिया किन्तु रेस्पोजेन्ट संख्या 1 जो कि रेस्पोजेन्ट संख्या 2 का भाई है उसे अनुचित लाभ पहुँचाने की दृष्टि से उसके पक्ष में किये गये अवैध आवंटन को यथावत कायम रखने में गंभीर कानूनी भूल की है क्योंकि रेस्पोजेन्ट्स ने उक्त आवंटन फ़ोड-मिसरिप्रजेन्टेशन एवं कूटरचित तरीके से कराया है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट के पिता लीलाराम पुत्र जयमल के नाम से ग्राम मोरधा में लगभग 14 बीघा कृषि भूमि उनकी खातेदारी कब्ज काशत में है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उसके भूमिहीन काशतकार नहीं होने की स्थिति में भी आवंटन यथावत रखने में गंभीर कानूनी गलती की है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोजेन्ट वास्तविक रूप से उसी ग्राम के निवासी नहीं होकर पड़ोसी ग्राम के निवासी है जिन्हे कानूनी रूप से भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कायम रखे जाने की आज्ञा प्रसारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा जैर अपील न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश कोटपूतली दिनांक 22.02.2017 रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के आवंटन को यथावत कायम रखने की हद तक निरस्त की जाकर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया अवैध शून्य व क्षेत्राधिकार विहीन आवंटन आदेश दिनांक 09.09.1994 निरस्त फमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1060/1300 ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है जिसका हाल खसरा नम्बर 1060/1304 व 1060/1305 बने है। उक्त भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को भू आवंटन सलाहकार समिति कोटपूतली द्वारा दिनांक 09.09.1994 को आवंटन की गई तथा मौके पर वास्तविक कब्जा संभलाया गया है तभी से आवंटी आवंटनशुदा भूमि पर काबिज काशत में रहे तथा आवंटियों के हक में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भरा जाकर तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण आवंटी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में भरा जाकर तस्दीक किया गया एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजीयात का मौके पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काशतकार की हैसियत से काबिज है जबकि अपीलार्थी ख्यालीराम का इस आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना-देना व तालूक या सम्बन्ध किसी भी प्रकार से नहीं है और न ही वह कभी कब्जे काशत में रहा है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्त ख्यालीराम रेस्पोजेन्ट 1 व 2 एवं इनके कुटुम्ब व परिवार से ईश्या व द्वेषता

P.T.O.

(3)

की भावना रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में रेस्पोजेन्ट के हक में किया गया आवंटन दिनांक 09.09.1994 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) दिनांक 20.08.2014 को प्रस्तुत किया गया है जबकि अपीलान्त ख्यालीराम को उक्त समस्त तथ्यों व कार्यवाही का इल्म प्रारम्भ से ही होते हुये भी 20 वर्ष पश्चात् आवंटन को निरस्त करवाने की कार्यवाही की गई जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य थी।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 12 में भूमि की आवंटन की अधिकृत सीमा 4 हैक्टर निर्धारित की गई है किन्तु शर्त यह होगी कि किसी भी दशा में इन नियमों के अधीन आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्र आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षेत्र या उसके काल्पनिक अंश यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित हो, को मिलाकर 4 हैक्टर से अधिक नहीं होना निर्धारित किया गया है तथा अपीलान्त ख्यालीराम द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में कुल मिलाकर 4 हैक्टर से अधिक रकबा आक्षेपित आवंटन आदेश के द्वारा आलॉटमेंट किया जाना सिद्ध नहीं कर पाये है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियम 12 के अधीन आवंटियों के पास अधिक भूमि मानते हुये आवंटन को अवैध करार देने में कानूनी भूल करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया जो न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका से रेस्पोजेन्ट रामप्रताप पुत्र लीलाराम की जन्मतिथि 05.07.1976 होना प्रमाणित होती है तदानुसार उक्त रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की आयु उसको आलॉटमेंट की गई भूमि तिथि 09.09.1994 को 18 वर्ष 2 माह होती है तथा आवंटी उस वक्त नाबालिंग नहीं थे बल्कि आवंटी बालिंग थे जिन्हे आवंटनशुदा भूमि पर मौके पर कब्जा दिया है तथा राजस्व रिकार्ड में लगभग 20 वर्ष पश्चात् इनके हक में किया गया आवंटन को कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता और न ही इस आशय के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र द्वारा चुनौती ही दी जा सकती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त ख्यालीराम के साथ मिलीभगत के साथ अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि न्याय व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त आराजीयात के रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 रिकार्डेड कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट है जिनके द्वारा आराजीयात पर ऋण चाहने हेतु कैनरा बैंक कोटपूतली में रहन रखी है तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में राहिन कैनरा बैंक कोटपूतली मुर्तहीन दर्ज है, जो कि प्रकरण में हितबद्ध बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया जो कि एक कानूनन आवश्यक पक्षकार की संज्ञा में आती है इसलिये उसके हक व हितों की रक्षा किया जाना कानूनन आवश्यक था और इसके अभाव में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त ख्यालीराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण चलने योग्य नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय इसे चलना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रिकार्ड रूल्स 118 से 121 की बिना पालना किये ही एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 36/2016 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2017 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.09.1994 को कृषि भूमि आवंटन प्रयोजनार्थ हेतु भूमि आवंटन की गई है उसे बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करे जिससे रेस्पोजेन्ट को उचित न्याय व राहत मिल सके व अपने कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजीयात से महरूम न हो सके। अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त 1995 आरबीजे पेज 780(एचसी), 2016(2) आरआरटी पेज 756(एचसी), 2001 आरआरडी पेज 126, 1999 आरबीजे पेज 412, 2009 आरआरडी पेज 177, 2011(1) आरआरटी पेज 270, 2007 (1) आरआरटी पेज 18, 2014 (2)आरआरटी पेज 1150 पेश किये गये।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 उक्त वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 09.09.1994 को किया गया है तथा अपीलान्त द्वारा उक्त आवंटन के विरुद्ध असाधारण विलम्ब से लगभग 20 वर्ष पश्चात् सन् 2014 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी में अपीलान्त की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है तथा जब अपीलान्त की वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की कोई लोकस स्टेण्डाई ही नहीं हैं तो उन्हे उक्त आवंटन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उज्रात करने का कानूनन हक व अधिकार भी नहीं है। ऐसी स्थिति स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

(दिनेश कुमार यादव)

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।